

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-19/2015-
प्रेषक,

न० 7 (आवंटन) / कृ0, पटना, दिनांक 24-07-2015

रामजी सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

Fax/Mail

कृषि निदेशक, बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/नालंदा/भोजपुर/बक्सर/रोहतास/भभुआ/गया/जहानाबाद/अरवल/नवादा/औरंगाबाद/सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/पंचम्पारण/सीतामढ़ी/शिवहर/वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगुसराय/मुंगेर/लखीसराय/शेखपुरा/जमुई/भागलपुर/बाँका/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/पूर्णियाँ/किशनगंज/अररिया/कटिहार/खगड़िया/सहायक निदेशक पौधा संरक्षण पटना/नालंदा/भोजपुर/बक्सर/रोहतास/भभुआ/गया/जहानाबाद/अरवल/नवादा/औरंगाबाद/सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/पंचम्पारण/सीतामढ़ी/शिवहर/वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगुसराय/मुंगेर/लखीसराय/शेखपुरा/जमुई/भागलपुर/बाँका/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/पूर्णियाँ/किशनगंज/अररिया/कटिहार/खगड़िया।

विषय: जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2015-16 में 20000.00 लाख रु० (बीस हजार लाख रुपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए 4000.00 लाख रु० (चालीस करोड़ रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु ₹32,55,19,000 (बत्तीस करोड़ पचपन लाख उन्नीस हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3470 दिनांक-09.07.2015 द्वारा जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2015-16 में 20000.00 लाख रु० (बीस हजार लाख रुपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए 4000.00 लाख रु० (चालीस करोड़ रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृति राशि के अन्तर्गत व्यय हेतु कुल ₹32,55,19,000 (बत्तीस करोड़ पचपन लाख उन्नीस हजार रु०) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त कुल ₹32,55,19,000 (बत्तीस करोड़ पचपन लाख उन्नीस हजार रु०) मात्र की निकासी बजट-शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म-उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना माँग संख्या-1 -उपशीर्ष-0126- जैविक खेती का उन्नयन- विपत्र कोड-P2401007890126, के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विषयशीर्ष 3301 सब्सिडी में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

सुभा

विश्वासभाजन,

रामजी सिंह

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

कृषि विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक

७७ (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 24-07-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कृ० २५/७/१५)

सरकार के संयुक्त सचिव।
कृषि विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक

७७ (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 24-07-2015

प्रतिलिपि : वित्त विभाग बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम० बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/अपर कृषि निदेशक, (प्रसार) बिहार पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य बीज निगम, पटना/कुलपति, रा०कृ०वि०वि०, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बि०कृ०वि०वि०, सबौर, भागलपुर/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, (शष्य), योजना बिहार पटना/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण) बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक (शष्य), पाट पूर्णियाँ/सभी उप निदेशक, (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक, (शष्य), बीज बिहार पटना/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ सभी जिला नोडल पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना / आई. टी. मैनेजर बिहार, पटना को विवरणी सहित विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सुभा

(कृ० २५/७/१५)

सरकार के संयुक्त सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

माता

स्वीकृत्यादेश संख्या-3470 दिनांक-09.07. 2015 द्वारा अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401007890126 (राशि रुपये में)

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	आवंटित राशि
1	2	3
1	कृषि निदेशक बिहार, पटना।	18,48,70,792
2	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना।	51,22,648
3	जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।	38,54,497
4	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर।	35,26,494
5	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर।	21,98,943
6	जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास।	38,80,047
7	जिला कृषि पदाधिकारी, भभुआ।	26,21,497
8	जिला कृषि पदाधिकारी, गया।	56,99,887
9	जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद।	14,35,123
10	जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल।	10,16,881
11	जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।	29,65,041
12	जिला कृषि पदाधिकारी, औरंगाबाद	32,12,813
13	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण।	51,10,606
14	जिला कृषि पदाधिकारी, सिवान।	45,32,309
15	जिला कृषि पदाधिकारी, गोपालगंज।	36,86,386
16	जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	59,86,554
17	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	63,32,376
18	जिला कृषि पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण।	53,62,283
19	जिला कृषि पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	42,24,893
20	जिला कृषि पदाधिकारी, शिवहर।	8,19,070
21	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली।	44,91,949
22	जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा।	51,10,606
23	जिला कृषि पदाधिकारी, मधुबनी।	61,71,589
24	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर।	58,95,419
25	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगूसराय।	39,76,796
26	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर	16,33,747
27	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय	12,71,894
28	जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा।	9,04,509
29	जिला कृषि पदाधिकारी, जमुई।	25,02,778
30	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर।	38,81,349
31	जिला कृषि पदाधिकारी, बांका।	31,45,357
32	जिला कृषि पदाधिकारी, सहरसा।	23,81,781
33	जिला कृषि पदाधिकारी, सुपौल।	27,98,558
34	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा।	27,02,298
35	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	39,51,653
36	जिला कृषि पदाधिकारी, किशनगंज।	20,20,580
37	जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया।	34,08,020
38	जिला कृषि पदाधिकारी, कटिहार।	37,53,842
39	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया।	19,94,216
40	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, पटना।	2,70,962
41	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, नालन्दा।	2,03,425
42	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, भोजपुर।	1,86,500
43	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, बक्सर।	1,16,359
44	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, रोहतास।	2,04,727
45	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, भभुआ।	1,38,329
46	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, गया।	3,01,069
47	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, जहानाबाद।	76,162

समाप्त

नामा

क्रम सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	आवंटित राशि
1	2	3
48	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, अरवल।	53,867
49	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, नवादा।	1,56,556
50	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, औरंगाबाद।	1,69,738
51	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, सारण।	2,69,986
52	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, सिवान।	2,39,716
53	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, गोपालगंज।	1,95,125
54	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, मुजफ्फरपुर।	3,16,855
55	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, पूर्वी चम्पारण।	3,34,756
56	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, पश्चिमी चम्पारण।	2,83,493
57	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, सीतामढ़ी।	2,23,442
58	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, शिवहर।	43,289
59	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, वैशाली।	2,37,275
60	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, दरभंगा।	2,70,148
61	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, मधुबनी।	3,26,619
62	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, समस्तीपुर।	3,11,647
63	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, बेगुसराय।	2,10,260
64	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, मुंगेर।	86,252
65	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, लखीसराय।	67,212
66	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, शेखपुरा।	47,846
67	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, जमुई।	1,32,633
68	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, भागलपुर।	2,05,541
69	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, बाँका।	1,65,995
70	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, सहरसा।	1,26,124
71	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, सुपौल।	1,47,931
72	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, मधेपुरा।	1,42,886
73	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, पूर्णियाँ।	2,09,284
74	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, किशनगंज।	1,06,920
75	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, अररिया।	1,80,153
76	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, कटिहार।	1,98,380
77	सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, खगड़िया।	1,05,456
	कुल	32,55,19,000
कुल—(बत्तीस करोड़ पचपन लाख उन्नीस हजार ०) मात्र।		

प्रमाण

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

मात्र